भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
11 जून 2025 को अपराह्न 3:00 बजे
अभिषद कक्ष में आयोजित
सीनेट की विशेष बैठक के कार्यवृत्त

सीनेट की विशेष बैठक दिनांक 11 जून 2025 को अपराह्न 3:00 बजे अभिषद कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों /विशेष आमंत्रितों के नाम **परिशिष्ट– 'ए'** में दिए गए हैं। गणपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण बैठक अपराह्न 3:05 बजे स्थगित की गई तथा अपराह्न 3:10 बजे पुनः आरंभ की गई।

बैठक के आरंभ में, सीनेट के अध्यक्ष ने निवर्तमान सदस्य प्रो. आर.एस. रंगसामी, वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी विभाग का सीनेट में उनके मूल्यवान योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

मद संख्या 1: नए पाठ्यक्रम के अनुसार शेष एम.टेक. और एमएस (आर) कार्यक्रम टेम्प्लेट्स पर विचार करना।

सीनेट को सूचित किया गया कि 232वीं सीनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, निम्नलिखित कार्यक्रमों के शेष एम.टेक. और एमएस(आर) कार्यक्रम टेम्पलेट्स को टिप्पणी/ प्रतिक्रिया के लिए सीनेट सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था:

जैव-चिकित्सा इंजीनियरी केंद्र

- जैव-चिकित्सा इंजीनियरी में एम.टेक.
- स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी में एमएस(आर)

परिवहन अनुसन्धान एवं चोट रोकथाम केंद्र

- परिवहन सुरक्षा एवं चोट रोकथाम में एमएस(आर)

संवेदक, उपकरणीकरण और साइबर-भौतिक तंत्र इंजीनियरी केंद्र

- संवेदक, उपकरणीकरण और साइबर-भौतिक तंत्र इंजीनियरी में एमएस(आर)

अंतर्विद्याशाखाई कार्यक्रम

- उपकरण प्रौद्योगिकी में एम.टेक.
- रोबोटिक्स में एम.टेक.
- वी.एल.एस.आई. डिज़ाइन टूल्स एन्ड टेक्नॉलजी में एम.टेक.
- वी.एल.एस.आई. डिज़ाइन टूल्स एन्ड टेक्नॉलजी में एमएस(आर)

यह सूचित किया गया कि कार्यक्रम टेम्पलेट्स पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है |

विचार-विमर्श के उपरांत, सीनेट ने नए पाठ्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त शेष एम.टेक और एमएस (आर) कार्यक्रमों के कार्यक्रम टेम्पलेट्स को अनुमोदित किया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक तथा पी.जी.सी.आई.सी. को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स, में मामूली परिवर्तन, यदि कोई है, को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।

संकल्प सं. 2025/एसपीएल/1:	संकल्प लिया गया कि उपर्युक्त अनुसार नए पाठ्यक्रम के तहत शेष एम.टेक. और एमएस (आर) कार्यक्रमों के कार्यक्रम टेम्पलेट्स को अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 2: पी.जी.सी.आई.सी. द्वारा प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार करना।

सीनेट ने पीजीसीआईसी द्वारा प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार किया। यह सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रमों क्रमशः टीआरएल 7203 तथा टीआरएल 7500 के पाठ्यक्रम शीर्षक एवं विषय-वस्तु पर पुनर्विचार किया जाए।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, पी.जी.सी.आई.सी. द्वारा प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स (**परिशिष्ट1**) को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। साथ ही, पाठ्यक्रमों को टिप्पणी/ प्रतिक्रिया हेतु सीनेट सदस्यों के बीच परिचालित करने का सुझाव दिया गया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक तथा पी.जी.सी.आई.सी. को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स अथवा पाठ्यक्रम संख्याओं में, मामूली परिवर्तन, यदि कोई हो, को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।

मद संख्या 3: पी.जी.सी.आई.सी. द्वारा प्रस्तावित नॉन ग्रेडेड यूनिट, 1 क्रेडिट तथा प्रोजेक्ट टाइप के नए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार करना।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, पीजीसीआईसी द्वारा प्रस्तावित नॉन ग्रेडेड यूनिट, 1 क्रेडिट तथा प्रोजेक्ट प्रकार के नए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स (**परिशिष्ट 2**) को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही, पाठ्यक्रमों को टिप्पणी/ प्रतिक्रिया हेतु सीनेट सदस्यों के बीच परिचालित करने का सुझाव दिया गया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष,शैक्षणिक तथा पी.जी.सी.आई.सी. को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स अथवा पाठ्यक्रम संख्याओं में, मामूली परिवर्तन, यदि कोई हो, को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।

मद संख्या 4: पहले से अनुमोदित पाठ्यक्रमों के संशोधित विषय-वस्तु के साथ नए पाठ्यक्रम क्रमांक वाले पाठ्यक्रम टेम्पलेट पर विचार करना।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, पहले से अनुमोदित पाठ्यक्रमों के संशोधित विषय-वस्तु के साथ नए पाठ्यक्रम क्रमांक वाले पाठ्यक्रम टेम्पलेट (**परिशिष्ट 3**) को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। साथ ही यह सुझाव दिया गया कि इन पाठ्यक्रमों को सीनेट सदस्यों के बीच टिप्पणी/ प्रतिक्रिया के लिए परिचालित किया जाए। सीनेट ने संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक तथा पी.जी.सी.आई.सी. को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स अथवा पाठ्यक्रम संख्याओं में, मामूली परिवर्तन, यदि कोई हो, को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।

मद संख्या 5: नए पाठ्यक्रम के अनुसार एम.एससी. जैव विज्ञान, एम.एससी. संज्ञानात्मक विज्ञान, एम.एससी. अर्थशास्त्र तथा एमए (कल्चर, सोसाइटी एन्ड थॉट) कार्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार करना।

सीनेट ने नए पाठ्यक्रम के अनुसार एम.एससी. जैव विज्ञान, एम.एससी. संज्ञानात्मक विज्ञान, एम.एससी. अर्थशास्त्र तथा एम.ए. (कल्चर, सोसाइटी एन्ड थॉट) के कार्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार किया |

विस्तृत चर्चा के उपरांत, **एम.एससी. संज्ञानात्मक विज्ञान, एम.एससी. अर्थशास्त्र तथा एम.ए. (कल्चर, सोसाइटी एन्ड थॉट) के कार्यक्रम टेम्पलेट्स** को, मामूली बदलाव, यदि कोई है, के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया।

एम.एससी. जैव विज्ञान के कार्यक्रम टेम्पलेट को, मामूली बदलाव, यदि कोई है, के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। साथ ही, कार्यक्रम टेम्पलेट्स में सस्टेनेबिलिटी आवश्यकताओं को शामिल करने का सुझाव दिया गया।

सीनेट ने पी.जी.सी.आई.सी. को इन कार्यक्रम टेम्प्लेट्स में,मामूली परिवर्तन,यदि कोई हो, करने के लिए प्राधिकृत किया।

संकल्प सं. 2025/ एसपीएल/ 2:	संकल्प लिया गया कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार एम.एससी. जैव विज्ञान, एम.एससी. संज्ञानात्मक विज्ञान, एम.एससी. अर्थशास्त्र तथा एम.ए. (कल्चर, सोसाइटी एन्ड थॉट) के कार्यक्रम टेम्प्लेट्स को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाए।

मद संख्या 6: पाठ्यक्रमों की क्रॉस-लिस्टिंग तथा ड्यूअल-लिस्टिंग के लिए नीति पर विचार करना।

सह-संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक (पाठ्यक्रम) द्वारा पाठ्यक्रमों की क्रॉस-लिस्टिंग तथा ड्यूअल-लिस्टिंग के लिए नीति प्रस्तुत की गई। यह किया गया कि यह नीति विभिन्न शैक्षणिक इकाइयों, जैसे विभागों, केंद्रों एवं स्कूलों के बीच पाठ्यक्रमों की क्रॉस-लिस्टिंग तथा एक ही इकाई के भीतर पाठ्यक्रमों की ड्यूअल-लिस्टिंग के लिए दिशा-निर्देश एवं प्रक्रियाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

सीनेट ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। विचार-विमर्श के उपरांत पाठ्यक्रमों की क्रॉस-लिस्टिंग तथा ड्यूअल-लिस्टिंग (**परिशिष्ट 4**) को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी टिप्पणी/ प्रतिक्रिया संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक को भेजें। प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई होगी,को शामिल किया जाएगा।

संकल्प सं. 2025/एसपीएल/3:	संकल्प लिया गया कि क्रॉस-लिस्टिंग तथा ड्यूअल-लिस्टिंग के लिए नीति को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया जाए।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय</u>

मद संख्या 7: नए पाठ्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम.पी.पी) के कार्यक्रम टेम्पलेट पर विचार करना।

विचार-विमर्श के उपरांत, नए पाठ्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर (एम.पी.पी.) कार्यक्रम के कार्यक्रम टेम्पलेट को, मामूली बदलाव, यदि कोई है, के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया।

संकल्प सं. 2025/एसपीएल/4:	संकल्प लिया गया कि लोक नीति में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के कार्यक्रम टेम्पलेट को नए पाठ्यक्रम के अनुसार सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 8: जैव रासायनिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी में बी.टेक. कार्यक्रम के संशोधित कार्यक्रम टेम्पलेट पर विचार करना।

अध्यक्ष, डी.बी.ई.बी. ने सूचित किया कि पाठ्यक्रम बीबीएल7074 और बीबीएल7031 के लिए प्रैक्टिकल कम्पोनेंट्स को 3-0-2 से संशोधित कर 3-0-3 कर दिया गया है। इस प्रकार, इन दोनों पाठ्यक्रमों के लैब कम्पोनेंट में कुल 0.5 क्रेडिट की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप कुल क्रेडिट 149 से बढ़कर 150 हो गए हैं। ये दोनों पाठ्यक्रम स्नातक पूर्व (यू.जी.) एवं स्नातकोत्तर (पी.जी.) विद्यार्थियों के लिए ड्यूल लिस्टेड किए गए हैं।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, जैव रासायनिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी में बी.टेक. कार्यक्रम के संशोधित कार्यक्रम टेम्पलेट को, कार्यक्रम टेम्पलेट और पाठ्यक्रम टेम्पलेट/पाठ्यक्रम संख्या में मामूली बदलाव, यदि कोई है, के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया।

संकल्प सं. 2025/एसपीएल/5:	संकल्प लिया गया कि जैव रासायनिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी में बी.टेक. के संशोधित कार्यक्रम टेम्पलेट को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा विशेष आमंत्रितगण के प्रति आभार व्यक्त किया।

अतुल व्यास
कुलसचिव

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
हौज़ खास, नई दिल्ली – 110016

No. IITD/AREG/Spl Senate/2025/416418 दिनांक: 24.06.2025

कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि [विशेष बैठक दिनांक 11 जून 2025], सीनेट के सभी सदस्यों की जानकारी और रिकॉर्ड हेतु भेजी जाती है। सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, यथाशीघ्र भेजें।

यदि 30.06.2025तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त को अनुमोदित करते हैं।

अतुल व्यास
कुलसचिव

प्रति:
सीनेट के सभी सदस्य / विशेष आमंत्रितों